

(13)

(14)

भूमेत पाप विह, साम्य विहो  
पहरीस पंरखर, हरादी (नेतीराव)



(15)



NTIFIED BY

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 033104



(नियम 4क देखिए)  
विधान सभा क्षेत्र 59 हल्द्वानी जनपद अनीताल (उत्तराखण्ड) निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)  
उत्तराखण्ड विधानसभा क्षेत्र 59 हल्द्वानी (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग  
 आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र

में, अनिल कुमार पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री प्रहलाद सिंह  
 आयु (३९) वर्ष, जो काठगोदम का / की निवासी हूँ

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित  
 कथन करता हूँ / करती हूँ :-



1- मैं किसी भी मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की  
 अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरंभ विरचित किया गया है / किए गए हैं।  
 ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी  
 प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं विवरण संलग्न है।
- (ii) पुलिस थाना (थाने) काठगोदम जिला (जिले) अनीताल राज्य उत्तराखण्ड
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,  
 जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है जी नहीं (शपथपत्र में विवरण संलग्न है।)
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई जी नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे जी नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है /  
 हैं जी नहीं

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की  
 उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से  
 भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास  
 से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित  
 जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं जी नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है जी नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) जी नहीं जिला (जिले) जी नहीं राज्य नहीं
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त  
 विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं नहीं

स्थान : हल्द्वानी

तारीख : 11-1-2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई गतिविक्रम बात छिपायी नहीं गई है।

हल्द्वानी स्थान पर आज तारीख 11-1-2012 को सत्यापित किया।

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



टिप्पणी :- इस प्रपत्र के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

certified that Sri/Smt. Anil Kumar  
the deponent identified by Self  
sworned & verified the contents  
of the affidavit at Haldwani  
on date 11/1/2012 Time 11:06 A.M.

D. S. Bisht  
Diwan Singh Bisht  
Advocate  
Notary, Haldwani  
Distt. Nainital UK India